

- (ख) क्या रबड़ बोर्ड ने इस मामले में कोई निर्णय कर लिया है ;  
 (ग) क्या बोर्ड का निर्णय सरकार को सूचित कर दिया गया है ;  
 (घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और  
 (ङ) यदि सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं तो सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). रबड़ बोर्ड ने वेतनआयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव पेश करते हुए कुछ पदों को ऊंचा उठाने का सुझाव दिया था ताकि वे सरकारी विभागों और संविहित निकायों के समान पदों के स्तर पर आ जायें । चूंकि इन दोनों प्रश्नों—अर्थात् वेतनक्रमों का पुनरीक्षण और असमानतायें दूर करने के लिये कुछ पदों को ऊंचा उठाना—पर अलग अलग विचार किया जाना है अतः रबड़ बोर्ड से वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के प्रथम प्रस्ताव तुरन्त पेश करने के लिये कहा गया है । जहां कहीं असमानतायें हैं उन को दूर करने के प्रश्न का विचार वेतनक्रमों का पुनरीक्षण समाप्त हो जाने पर किया जायेगा ।

### संत फतेह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: कुछ दिन पूर्व मैंने अपनी और संत फतेह सिंह के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी थी । यह पत्र व्यवहार १० अगस्त, १९६१ को मेरे द्वारा मास्टर तारा सिंह को लिखे गये एक पत्र के साथ आरम्भ हुआ था, जिस में मैं ने उन से यह निवेदन किया था कि उन्होंने ने १५ अगस्त से जो अनशन करने की घोषणा की है उसे त्याग देवें । सभा पटल पर रखा गया अन्तिम पत्र २३ अगस्त को संत फतेहसिंह को लिखा गया था ।

२३ अगस्त को संत फतेहसिंह दिल्ली में आयें और संख्या के समय मुझ से मिले । २४ और २५ को भी हमारी भेंट हुई । श्री गुरनाम सिंह भी इस बातचीत में शामिल थे । यद्यपि यह बातचीत मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई थी तथापि इस विषय पर कोई समझौता नहीं हो सका । इस के पश्चात् संत फतेह सिंह अमृतसर को लौट गये ।

मास्टर तारा सिंह का अनशन अभी जारी है । दिल्ली में श्री रामेश्वरानन्द ने और अमृतसर में श्री सूर्य देव ने इस के विरोध में भूख हड़ताल किया हुआ है ।

सरकार इन अनशनों के संबंध में काफी चिन्तित है और उन्होंने ने इन को तोड़ने के लिये बार बार अनुरोध किया है । तथापि सरकार के प्रयत्न इस दिशा में सफल नहीं हो सके हैं ।

संत फतेह सिंह और गुरनाम सिंह के साथ हुई मेरी बातचीत के दौरान उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग पर ही अधिक जोर दिया । अर्थात् पंजाब का इस प्रकार से विभाजन हो जाये कि पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र पृथक राज्य बना दिया जाये । मैं इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सका क्योंकि यह मुझे सिद्धान्ततः और व्यवहारतः हानिकारक प्रतीत हुआ । ऐसी मांग जो कि अनशन इत्यादि की धमकी पर आधारित हो वह संसदीय लोकतंत्र प्रणालि के विरुद्ध, अवांछनीय और हानिकारक है । इससे देश में लोकतंत्र प्रणालि पर आघात होगा और अन्य समस्यायें पैदा हो जायेंगी ।

पंजाबी सूबे के संबंध में मैंने कहा कि जहां तक पंजाबी भाषा के विकास का प्रश्न है इसके संबंध में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । शिक्षा और प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में पंजाबी के विकास के लिये बहुत कुछ किया गया है । अक्सर आने पर और अधिक किया जा सकता है । वस्तुतः कुछ वर्ष पूर्व हुए इस समझौते के आधार पर कि पंजाब को हिन्दी और पंजाबी दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाय, के फलस्वरूप पंजाबी भाषा को बहुत संरक्षण मिला है ।

प्रादेशिक फार्मूले पर अमल करने में कुछ विलम्ब इस कारण हुआ कि कई हजार अध्यापकों को पंजाबी में प्रशिक्षण देना पड़ा जिससे कि वह आरम्भिक कक्षाओं में पंजाबी पढ़ा सकें । इनके प्रशिक्षण के साथ साथ इन क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन हुआ । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और भी कई कार्य किये गये । यह निश्चय किया गया कि पंजाबी भाषा का एक विश्व-विद्यालय खोला जाये ।

अतः पंजाबी भाषा के संबंध में जो भी मांग रखी गयी है वह पूरी की गयी है । अतः पंजाबी भाषा के विकास के लिये सुविधायें प्राप्त करने के फलस्वरूप पंजाबी सूबे की मांग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अतः पंजाबी सूबे की मांग एक भाषा के आधार पर रखी गयी है, एक सांप्रदायिक मांग है ।

पंजाब का विभाजन उस देश के विभाजन के लिये हानिकारक होगा तथा उससे पंजाब की प्रगति को आघात होगा । पंजाब भारत का एक सर्वाधिक समृद्ध राज्य है । वहां की प्रतिव्यक्ति आय देश में सर्वाधिक है । इसके विभाजन से विकासशील अर्थव्यवस्था और प्रगति को आघात होगा । मेरे विचार से ऐसा करना अवांछनीय होगा ।

पंजाबी सूबे के आधार पर निर्मित यह राज्य भारत का सब से छोटा राज्य होगा और वह आत्मनिर्भर नहीं रह सकता है ।

पंजाब को पहिले ही विभाजन से बहुत नुकसान पहुंचा है । तथापि वहां की जनता ने परिश्रम और साहस से विभाजन से प्राप्त निर्यागिताओं को हटा दिया है । इसके पुनः विभाजन से न केवल इसके आर्थिक पहलू पर आघात होगा अपितु ऐसा करना दूसरी दृष्टियों से भी घातक है । पंजाब भाषाई और सामाजिक दृष्टि से एक पूर्ण एकक बन गया है । सारे राज्य की मुख्य भाषा पंजाबी है यद्यपि कुछ भागों की मातृभाषा हिन्दी है । उसकी अपनी भाषा और समाज संबंधी संस्कृति है जो पंजाबियों को अन्य राज्यों के निवासियों से विलग करती है । इसमें संदेह नहीं कि संविधान के अनुसार हिन्दी सरकारी कार्यों के लिये अखिल भारतीय स्तर की भाषा है । पंजाब में अधिकांश व्यक्ति हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषायें समझते हैं । पंजाब में ऐसे कई परिवार हैं जिनके सदस्य हिन्दू और पंजाबी दोनों हैं । अभी हाल की घटनाओं के पूर्व पंजाब भारत के अन्य राज्यों से अधिक एकीकृत राज्य था । उसका विभाजन करना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक शोचनीय बात होगी । इसके विभाजन से पंजाबी को धक्का पहुंचेगा और विशेषतः सिखों को धक्का पहुंचेगा जो कि समस्त भारत में फैले हुए हैं ।

इन सभी कारणों से मैंने यह सुझाव दिया था कि पंजाब का विभाजन देश, पंजाब और विशेषतः सिखों के लिये हानिकारक सिद्ध होगा ।

यदि पंजाबी के विकास के लिये कुछ और करना आवश्यक हो तो हम करने को तैयार हैं । वस्तुतः पंजाबी के विकास के लिये जो भी करना संभव था वह किया जा रहा है ।

यदि क्षेत्रीय फारमूला संतोषजनक नहीं है तो उसके सुधार के लिये विचार किया जा सकता है । आवश्यक होने पर क्षेत्रीय समितियों को कुछ अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

संत फतेह सिंह ने यह कहा था कि प्रादेशिक समितियों को उप विधान सभाओं का रूप दिया जाये। मैं उससे इस कारण सहमत नहीं हो सका कि ऐसा करना न केवल संविधान के विरुद्ध था अपितु इससे पंजाब में तीन विधान सभा हो जाने के कारण विचित्र स्थिति पैदा हो जाती।

यह आरोप गलत है कि क्षेत्रीय फारमूला ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। जांच के उपरांत यह मालूम हुआ कि यह फारमूला सफलतापूर्वक काम कर रहा है। वस्तुतः पंजाब विधान सभा द्वारा इसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। तथापि मैं इसे दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों तथा पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा जांच करवाने को तैयार हूँ।

यह आरोप लगाया गया है कि सिखों के प्रति भेदभाव किया जाता है यद्यपि इसके उदाहरण नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। मैंने उन्हें यह सुझाव दिया कि इस आरोप पर एक उच्चस्तरीय जांच की जा सकती है।

संत फतेह सिंह ने मेरे सुझावों को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने पंजाबी सूबा या उसके स्थान पर अपनी विशेष विधान सभा बनाने का आग्रह किया। मैं उक्त कारणों के आधार पर उनके यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सका। मैंने संत फतेह सिंह से कहा कि वे मास्टर तारा सिंह को समझायें कि वे अपना अनशन छोड़ दें क्योंकि यह एक गलत साधन है और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें बताया कि पंजाब में हिन्दू और सिखों के बीच मनमुटाव हो जाने से पंजाब का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। वस्तुतः पंजाब की समृद्धि और प्रगति दोनों जातियों के सहयोग पर ही आश्रित है। इसके अग्रेतर विभाजन से दोनों में द्वेष और शत्रुता का वातावरण पैदा हो जायेगा। इससे कई परिवार टूट जायेंगे। वस्तुतः एक ऐसे उद्देश्य की खोज में जो कि हानिकारक और तुच्छ हैं हमें पंजाब की मूल्यवान् धरोहर से हाथ धोना पड़ेगा।

मुझे दुख है कि मैं संत फतेह सिंह को राजी नहीं कर सका इसके फलस्वरूप मास्टर तारा सिंह का अनशन अभी जारी है। इसी प्रकार स्वामी रामेश्वरानन्द और श्री सूर्य देव का अनशन भी अभी जारी है।

पंजाब का भविष्य प्रत्येक पंजाबी और भारतीय के लिये बहुत महत्व रखता है। कई सिखों और हिन्दुओं ने मास्टर तारा सिंह तथा दूसरे लोगों को उपवास छोड़ने का अनुरोध किया है। जिससे कि इन समस्याओं पर विचार करने के लिये उचित वातावरण तैयार हो सके। दुःख है कि उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली है।

यह तर्क गलत है कि भारत के अन्य भागों में भाषा के आधार पर राज्य बनाये गये हैं तथापि पंजाब में ऐसा नहीं किया जा रहा है। भारत का कोई भी राज्य पूरी तरह एकभाषीय नहीं है। पंजाब अपेक्षाकृत अधिक सजातीय और एकीकृत है। वहां की मुख्य भाषा पंजाबी है। यदि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का सिद्धान्त स्वीकार किया जाये तो भी इसको अंतिम सीमा तक क्रियान्वित करने से हानि हो सकती है। ऐसा भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने से ही संभव है। ऐसे कृत्रिम विभाजन से दोनों ही ओर ऐसे बहुत से व्यक्ति रह जायेंगे जिनकी सहानुभूति दूसरे क्षेत्र के प्रति होगी। इस प्रकार मनमुटाव पैदा हो जायेगा और सहयोग से काम चला सकना असंभव हो जायेगा। इससे न केवल राज्य के इतिहास और परम्परा पर आघात अपितु इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और वहां की जनता के जीवन पर भयंकर आघात होगा।

मैं मास्टर तारा सिंह से यह अनुरोध करता हूँ कि वे अपना अनशन छोड़ दें। क्षेत्रीय फारमूला की जांच के संबंध में मेरा प्रस्ताव अभी भी स्थिर है। इसी प्रकार आवश्यक होने पर सिखों के प्रति भेदभाव के संबंध में भी जांच की जा सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कल शाम ४ बजे से चर्चा होनी निश्चित हुई है।

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : इस विषय पर चर्चा के लिये ३ घंटे का समय दिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर इस समय कोई स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय प्रस्ताव है वे भी कल ही लिये जायेंगे।

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह नियमबाह्य तो नहीं है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते थे कि इस विषय पर माननीय मंत्री का ध्यान तत्काल आकर्षित हो। मैं इसकी अभी अनुमति नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। अविलम्बनीय महत्व के विषय पर विचार करने में कुछ समय लगता है। अतः उस संबंध में मैं कल अपना निर्णय दूंगा।

### स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम रोकने का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया है कि स्वामी रामेश्वरानन्द जिस आर्य समाज मंदिर में अनशन कर रहे हैं आज से ठीक सात दिन पहले एक ऐसी घटना घटी कि वहां पर एक बम फेंका गया था और कल फिर इस प्रकार की घटना घटी है कि जहां जिस कमरे में स्वामी जी निवास करते हैं वहां पर बम फेंका गया और वह बम आर्य समाज मंदिर से टकरा कर टूट गया। पिछली बार गृह-कार्य मंत्री श्री दातार ने कहा था कि हम ने वहां पर पुलिस का प्रबंध बढ़ा दिया है तो भी कल इतनी भयंकर घटना घटी और पुलिस जो वहां पर खड़ी थी यद्यपि उसमें से एक पुलिस के आदमी को चोट भी लगी है तो भी पुलिस अकर्मण्य बनी हुई है ऐसी स्थिति में जब एक पवित्र कार्य वहां चल रहा है। एक धर्म मंदिर के ऊपर एक षड़यन्त्र के रूप में आक्रमण किया जाय तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को इस स्थिति पर अवश्य विचार करना चाहिए।

†अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री का स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है। “आर्य समाज मंदिर, दीवान हाल, दिल्ली में, जहां श्री रामेश्वरानन्द जी पंजाब की एकता बनाये रखने के लिये अनशन कर रहे हैं वहां दूसरी बार बम विस्फोट से उत्पन्न हुई स्थिति।”

समाचार पत्र की कटिंग के अनुसार यह एक पटाखा है। माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : इस मामले की जांच की जा रही है। लगभग दस व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में भरसक कार्यवाही कर रही है।

†मूल अंग्रेजी में